BIHAR 750 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs 750

भारत

सात सौ पचास रुपया SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

१ लेख्यकारी का नाम:- श्री तारा चन्द जैन सुपुत्र स्वर्गीय श्री सूरज मल जी जैन जाति जैन व्यवसाय व्यापार निवास स्थान नगर रांची उपर बाजार मारवाड़ी टोली थाना जिला रांची ।

२ लेख्यधारी का नाम :- श्री रघुनन्दन सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री राम वृक्ष सिंह मुतवफा जाति हिन्दू व्यवसाय खेती निवास स्थान ग्राम रम्सा पुर थाना सोनपुर जिला छपरा वर्तमान निवास स्थान ग्राम थाना गुमला जिला रांची ।

३ लेख्य प्रकार :- विक्रय पत्र बराबर के लिए ।

४ मूल्य :- केवल ३०,०००) तीस हजार रुपया मात्र मूल्य तथा छपरबंदी मालगुजारी प्रति वर्ष केवल ०-७५ पैसे ।

५ जमीदार का नाम :- सि०ओ० गुमला ।

---२

BIHAR 500 Rs.

६ विवरण सम्पति :- एक पक्का मकान में सहन साहेवान अगुती पिछुती तथा भूमि जिस पर मकान पक्का बना हुआ है तथा उस पक्के मकान में लगे सभी सामान स्वत्व कमरबंदी दखली हक और हिस्सा लेख्यकारी का है जिस पर लेख्यकारी का निर्विवाद और निर्विघ्न दखल कब्जा है तथा मकान सब प्रकार से निर्विकार परम शुद्ध और पवित्र है उस पक्के मकान की स्थिति स्थान ग्राम गुमला थाना गुमला जिला रांची थाना नं० ५६ खाता नं० १५० सर्वे प्लॉट नं० ३०२ क्षेत्रफल ०-०८ डी० जिसकी चतु: सिमा निम्न प्रकार है जो कलकटरी तथा जिला रजिस्ट्रार रांची सब रजिस्ट्रार गुमला के अन्दर है।

चौहद्दी

उत्तर- आदित्य साव का बाड़ी
दक्षिण- पी० डब्लु० डी० रोड
पूर्व- बड़ाईक इश्वरीप्रसाद सिंह का दोन खेत
पश्चिम- आदित्य साव का मकान का गली।

संदर्भ

अथव:- उपरोक्त खाता नं० १५० सर्वे प्लॉट नं० ३०२ क्षेत्रफल ०-०८ डी० भूमि श्री घनश्याम दास साव इत्यादि की थी जिन्होंने उक्त भूमि को श्री राय बहादुर हरख चन्द जैन श्री तारा चन्द जैन श्री ज्ञान चन्द जैन एवं श्री प्रकाश चन्द जैन से तारीख ४-८-१९४७ ई०

मनोज कुमार सिंह

1.8.70

witness

1-8-70

BIHAR 60Rs.

साठ रुपया

भारत INDIA

६०रू. SIXTY RUPEES 60Rs.

को जिसकी रजिस्ट्री तारीख ७-८-१९४७ ई० को हुई तथा जिसकी
पुस्तक संख्या १ भौलूम संख्या ३३ पृष्ट संख्या ५१३-५१८
में निबंधित किया हुआ है निबंध संख्या ४९४१ वर्ष १९४७
ई० रांची सब रजिस्ट्री औफिस है मूल्य लेकर बिक्रय कर दिये
श्री राय बहादूर हरख चन्द जैन इत्यादि यह भूमि खरीद कर
अपना नाम जमीदार के कार्यालय से और बब स्टेट से दाखिल
खारिज करा कर बरबंदी मालगुजारी प्रति वर्ष आदाय कर
रसीद प्राप्त करते हैं। बाद में तारीख २०-१०-१९६८ ई०
को उक्त चारो भ्राता के बिच रजिस्ट्री के द्वारा बटवारा हो
गया जिसका बटवारा पत्र संख्या ६१४६ पुस्तक संख्या १ भौलुम
संख्या ६७ पृ ष्ट संख्या ४४४-४८७ वर्ष १९६८ ई० रांची सब
रजिस्ट्री औफिस है उस बटवारा पत्र द्वारा बिक्रय वाली भूमि
लेख्यकारी केहिस्से में मिला तथा उस भूमि पर लेख्यकारी पक्का
मकान बनाये हैं जीसके पीछले हिस्से मेंसीमेन्ट चदरा से छाया
हुआ है। यह मकान लेख्यकारी के निवास स्थान रांची से
बहुत दूर है जहासे मकान का देख भाल ठीक से नहीं होता है
बिक्रय कर देना अच्छा समझ कर लेख्यधारी महोदय से उक्त
मूल्य जो समयानुसार उचित यथेष्ट और यथार्थ मूल्य है उस पर
बिक्रय करने की बात पक्की की है उसी के अनुसार आज के रोज
लेख्यधारी महोदय से केवल ३०,०००) तीस हजार रुपैया नगद
मूल्य लिया और उपर वर्णित मकान औ जमीन जो सब प्रकार
से ऋण भार रहीत हर प्रकार के झगड़ा झंझट से रहित
है लेख्यधारी महोदय के हाथ हस्तान्तरीत कर दिया और लेख्यधारी
महोदय को इस मकान तथा जमीन पर अपने स्थान में दखलकार कर
दिया लेख्यधारी महोदय और उनके उतराधिकारी स्थानापन्न इस
मकान पर लेख्यकारी के स्थान में दखलकार होकर और रह कर

Witness: 1-8-70

1-8-70

--४

BIHAR 10 Rs.
दस रुपया
१० रु. भारत INDIA 10 Rs.
TEN RUPEES

इस मकान में स्वयं अपने वास करें अथवा किराया पर लगावें किंवा अपनी इच्छा अनुसार इस को तोड़ कर नया मकान बनावें कुंआ निर्माण करावे वाटिका लगावें और नया मकान निर्माण कर उस नवनिर्मित मकान इत्यादि में स्वयं वास करें अथवा कियायापर लगावें किंवा अपनी इच्छा अनुसार इसे विक्रय पत्र दान पत्र मकफुल सानुबंध विक्रय पत्र प्रतिभूति प त्र इत्यादि करेंइसमें लेख्यकारीऔर लेख्यकारी के उतराधिकारी स्थानापनों को कोई आपति नहीं है औरन होगा न करेंगे। आज के दिन से इस मकान एवं भूमि सम्पूर्ण अथवा इस मकान और भूमि के किसी टुकड़े में लेख्यकारी और लेख्यकारी के उतराधीकारी स्थानापनों का कोई अधिकार किंवा स्वत्व कुछ भी शेष नहीं रहा और न रहेगा जिस प्रकार का स्वत्व और अधिकार इस विक्रय वाली सम्पति पर लेख्यकारीका है अथवा था किंवा होता सो सब स्वत्व और अधिकार ज्स का त्स लेख्यकारी से विलग होकर उक्त लेख्यधारी महोदय और उनके उतराधिकारी स्थानापनों को प्राप्त हुआ और प्राप्त होगा। अब लेख्यधारी महोदय इस मकान के लिये सरकार से उनके अंचलाधिकारी के द्वारा अपना नाम लेख्यकारीके नाम के स्थान में नामांकित करवा लेवे और लगानबंदी मालगुजारी और अन्य प्रकार का टैक्स अपने नाम से देकर रसीद अपने नाम से ले लिया करें। लेख्यकारी ने लेख्यधारी महोदय को यह भी विश्वास दिलाया है और ज्ञान कराया है कि यह सम्पति सब प्रकार के ऋण भार अथवा स्वत्व दोष से मुक्त है यदि वैसा प्रमाणित हो तो उसका देनदार और उतरदायी लेख्यकारी है और होंगे और देंगे। अत: थोड़े से शब्दों में यह विक्रय पत्र लिख दिया के प्रमाण रहे और आवश्यक वेला पर काम आवे ता: ९-२- १९७० ई०

लेख्यकारी - अजित सिंह [illegible]

बल ? [illegible]
९-२-७० कान्त प्रसाद।

[illegible] १-८-७०

मनोज कुमार सिंह

(11)

NOTARY
I. M. SAHU

SL. No. (30) 5/11/07

समक्ष श्री ... नोटरी महोदय गुमला

DAYKI NARAYAN ... NOTARY Dist- GUMLA

Authorised ... (Act No. ...) Along with ...

शपथ – पत्र

मै परमेश्वर दयाल सिंह पिता स्व0 रघुनन्दन सिंह उम्र लगभग 70 वर्ष साकिन सिसई रोड गुमला थाना वो जिला गुमला हाल मोकाम आर बाजार जालान रोड राँची थाना कोतवाली जिला राँची हलफन ब्यानकरता हूँ कि /–

1. यह कि खाता नं0 150 प्लॉट नं0 302 रकबा 0.08 डी0 मौजा गुमला थाना नं0 59 की जमीन मेरे पिता रघुनन्दन सिंह की खरीदगी जमीन है ।

2. यह कि मेरे पिता रघुनन्दनसिंह ने उक्त खाता प्लॉट की भूमि श्री तारा चन्द जैन सुपुत्र स्व0 सूरजमल जी जैन से 1.8.70 को रजिस्ट्री पट्टा से क्रय किया है ।

3. वह कि हमारीवंशतालिका निम्न प्रकार है :– रघुनन्दन सिंह

परमेश्वर दयाल सिंह राजेश्वर प्रसाद सिंह

4. यह कि उक्त खाता प्लॉट की भूमि के अलावे भी हमारी भूमि गुमला एवं राँची मे है ।

5. यह कि उक्त खाता प्लॉट की भूमि मेरे छोटे भाई श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र श्री मनोज कुमार सिंह के दखल कब्जे एवं हिस्से मे है ।

6. यह कि उक्त भूमि के संबंध मे अंचल कार्यालय मे मालगुजारी रसीद मेरे पिता के नाम से ही निर्गत होता है ।

7. यह कि उक्त खाता प्लॉट की भूमि के संबंध मे अंचल कार्यालय मे पंजी II मे श्री मनोज कुमार सिंह पिता श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से दर्ज किये जाने एवं मनोज कुमार सिंह के नामसे ही मालगुजारी रसीद निर्गत किये जाने पर मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है ।

– परमेश्वर दयाल सिंह

NOTARY I. M. SAHU 5/11/07

मनोज कुमार सिंह

मनोज कुमार सिंह

क्रमांक – A/06 5409

गुमला जिला बार एसोसिएशन गुमला

अधिवक्ता संघ, गुमला

प्राधिकृत हस्ताक्षर

(12)

2·

सत्यापन

मैं परमेश्वर दयाल सिंह हलफन ब्यान करता हूँ कि उपरोक्त दिये गये सभी ब्यान मेरे ज्ञान वो जानकारी मे सही सत्य वो दुरूस्त है । आज दिनांक 5·1·07 को मोकाम गुमला मे सत्यापित वो हस्ताक्षरित

परमेश्वर दयाल सिंह

Deponent is identified by me and he has signed in my presence

5/1/07

शपथकर्त्ता परमेश्वर दयाल सिंह ने मेरे समक्ष आज दिनांक - 5·1·07 को शपथ ग्रहण किया जिसका पहचान श्री ——— अधिवक्ताने किया ।

परमेश्वर दयाल सिंह

क्रम सं0 (30) 2007 /-

नोटरी पब्लिक, गुमला।

NOTARY, INQUIRY, Dist. GUMLA

5/1/07

5/1/07

मनोज कुमार सिंह

मनोज कुमार सिंह